भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1559
(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास नीति में संशोधन

1559. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य सहित देश भर में राज्य-वार ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करने, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए कोई ग्रामीण विकास नीति तैयार या संशोधित की है;
(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसी नीति/कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्य उद्देश्यों, घटकों और किए गए वित्तीय आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण आजीविका, अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर बिहार में कार्यान्वित की जा रही वर्तमान ग्रामीण विकास योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) इसमें शामिल किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या और सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों के साथ-साथ पहचानी गई प्रमुख चुनौतियां क्या हैं; और
(ङ) क्या सरकार का बिहार में ग्रामीण विकास को तेज करने के लिए कोई नई पहल शुरू करने या मौजूदा ग्रामीण विकास नीतियों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) व (ख): ग्रामीण अवसंरचना के समग्र विकास और रोजगार सृजन हेतु एक सुनिश्चित रोडमैप के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को दूर करने की अपनी बहुआयामी रणनीति को सुदृढ़ करने की दृष्टि से, सरकार ने बिहार सहित संपूर्ण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई, 2026

से विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 लागू किया है। वीबी-जी राम जी के अंतर्गत बजट आवंटन (बीई 2026-27) 95,692 करोड़ रुपये में से 6,715 करोड़ रुपये बिहार राज्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रमुख उद्देश्य **अनुबंध** में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, पिछले 3 वर्षों के दौरान बिहार राज्य में प्रमुख ग्रामीण कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कार्यक्रम/योजना	2023-24	2024-25	2025-26
वीबी-जी राम जी/मनरेगा (सृजित श्रम दिवस)	22,05,05,692	24,97,78,899	22,32,25,158
पीएमएवाई-जी (पूर्ण किए गए मकान)	65,377	79,498	2,63,151
पीएमजीएसवाई (पूर्ण की गई सड़क लंबाई किमी. में)	2,235	1,646	749
डीएवाई-एनआरएलएम (गठित स्वयं सहायता समूह)	4,76,446	7,30,239	7,30,239

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग डैशबोर्ड/24.07.2026 तक

(ग) से (ङ): सरकार बिहार सहित बेहतर आजीविका अवसरों, उन्नत ग्रामीण अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और परिणामों की समय-समय पर समीक्षा करती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, ग्रामीण युवाओं के पलायन और आजीविका अस्थिरता की चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार ने विभिन्न प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे आजीविका विविधीकरण और ग्रामीण परिवारों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक बहु-स्तरीय एवं बहु-प्रारूपीय प्रणाली विकसित की है, जिसमें कार्य निष्पादन समीक्षा समिति बैठकें, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्त्ता (एनएलएम), क्षेत्र अधिकारी योजनाएं, संयुक्त समीक्षा मिशन, समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव आकलन अध्ययन शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य-विशिष्ट समीक्षाएं भी समय-समय पर की जाती हैं और चुनौतियों से निपटने के लिए उनके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। कार्यक्रमों के परिणामों को बेहतर और सुदृढ़ बनाने तथा समय पर निधि जारी करने सहित प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, डिजिटल समाधान, राज्य सरकारों के साथ नियमित समन्वय, शिकायत निवारण तंत्र, सामाजिक लेखा

परीक्षा का प्रावधान, सार्वजनिक डोमेन में वास्तविक समय जानकारी उपलब्ध करने आदि जैसे उपाय अपनाए जाते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विशेष रूप से बिहार के लिए कोई अन्य नई पहल शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रमुख लाभार्थी-उन्मुख ग्रामीण कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित व्यक्तियों की कार्यक्रम-वार कुल संख्या नीचे दी गई है:

कार्यक्रम/योजना	**लाभार्थियों की संख्या (अनुमानित)**
मनरेगा/वीबी-जी राम जी	10.85 करोड़
पीएमएवाई-जी	3.91 करोड़
एनएसएपी	3.09 करोड़
डीएवाई-एनआरएलएम	10.05 करोड़
डीडीयू-जीकेवाई	17.71 लाख
आरएसईटीआई	56.69 लाख

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग डैशबोर्ड/24.07.2026 तक

अनुबंध

"ग्रामीण विकास नीति में संशोधन" के संबंध में लोक सभा दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1559 के भाग (क) व (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

i. इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे ग्रामीण परिवारों को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की उन्नत वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करके ग्रामीण विकास ढांचे को विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विज़न के साथ संरेखित करना है, ताकि वे विस्तारित आजीविका सुरक्षा ढांचे में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।

ii. सशक्तिकरण संवृद्धि, अभिसरण और संतृप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के निर्माण के साथ, जिसमें जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना और चरम मौसमी घटनाओं को कम करने के लिए विशेष कार्यों पर विषयगत ध्यान केंद्रित किया गया है।

iii. ग्रामीण कार्यबल के लिए मजदूरी-रोजगार गारंटी को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम कृषि कार्य वाले समय के दौरान पर्याप्त कृषि-श्रम उपलब्धता को सुगम बनाना।

iv. ग्राम पंचायतों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूस्थानिक प्रणालियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिला एवं राज्य नियोजन तंत्रों द्वारा संचालित तथा पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से अभिसरण, संतृप्ति-आधारित योजना और संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण आधारित सेवा प्रदायगी को संस्थागत रूप देना, जिसमें ऐसी योजनाएं ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समेकित की जाती हैं।

v. विभिन्न स्तरों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली या मोबाइल आधारित कार्यस्थल निगरानी, वास्तविक समय प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण तथा योजना, अंकेक्षण और धोखाधड़ी जोखिम शमन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग सहित एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से शासन, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता का आधुनिकीकरण करना।
